संख्या : 160 / V / 2007–500(सा.38) / 2006

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग — देहरादून : दिनांक : // जून, 2007

विषयः नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) द्वारा 20 विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों हेतु प्रस्तुत कुल रू. 205.31 लाख की लागत के आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त, संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल रू. 201.88 लाख (रू. दो करोड़ एक लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के पी0एल0ए0 खाते में रखी जायेगी जिसका आहरण नगर निकाय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। यदि पी0एल0ए0 खाता उपलब्ध नहीं है या पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति नहीं मिल पाती है तो उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय। इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना / मद में नही किया जायेगा।
4. टाइल सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 3173 / V-श.वि. / 2006 दिनांक 30.8.2006, जो वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ / कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता / अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः

9. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. निर्माण ऐजेन्सी के चयन में शासनादेश सं0–452/XXVII(1)/2005, दिनांक–05 अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से पूर्व में स्वीकृत हो चुके है या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
12. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
13. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
14. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नही करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों मे धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
15. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
16. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
17. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
18. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
19. कार्य पूर्ण कर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण इसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
20. कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
21. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

22– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

23– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–121/XXVII(2)/2007, दिनांक–07 जून, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

संख्या :/७० (1)/V/2007 तद्‌दिनांक।11/6/07

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

पालिका परिषद, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) --

ादेश संख्या : /०८ /V–2006–500(सा0–38)/2006, दिनांक–/जून, 2007 का संलग्नक

(लाख रूपये में)

क0सं0	कार्य का नाम	आगणनकी लागत (लाख रू0 में)	टी0.ए.सी. से अनुमोदित (लाख रू0 में)
01	मोहल्ला ट्रांजिट कैम्प वार्ड नं0 2 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण श्री एम0एम0 रजाई सेन्टर से नितलाल के घर तक ।	11.28	11.28
02	मोहल्ला ट्रांजिट कैम्प वार्ड नं0 2 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण श्री नारायण के घर से श्री जुगल के घर तक जे ब्लॉक।	9.14	9.10
03	मोहल्ला ट्रांजिट कैम्प वार्ड नं0 2 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण श्री शंकर निशात के घर से श्री गिनाल टेलर तक।	8.15	8.15
04	वार्ड नं0 3 में इण्टरलॉक टायल्स श्री निमाई मण्डल की दुकान से गोविन्द मंदिर तक मो0 संजयनगर।	5.41	5.40
05	वार्ड नं0 3 में इण्टरलॉक टायल्स श्री नारायण सरकार के घर से बुद्धशील के घर तक मोहल्ला संजयनगर।	3.50	3.50
06	वार्ड नं0 4 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण श्री अमरीक सिंह के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग किच्छा बाईपास तथा इण्डिया मार्का नल से सरदार निषान सिंह के घर तक तथा श्री साहब सिंह के घर से बजाज प्रिन्टा तक।	7.22	7.20
07	वार्ड नं0 4 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माणकिच्छा बाईपास से श्री रामा शंकर शुक्ला और मजार तक।	3.94	3.90
08	वार्ड नं0 4 में में इण्टरलॉक सड़क निर्माण किच्छा बाईपास से श्री सुखपाल सिंह ढिल्लों के घर तक।	9.84	9.80
09	वार्ड नं0 4 में टायल्स रोड निर्माण मोह0 भदईपुरा।	3.13	3.10
0	वार्ड नं0 5 में इण्टरलॉक सड़क निर्माण जगदीष मोहन सक्सेना के घर से विजय किराना स्टोर तक, खेड़ा।	2.47	2.45
1	वार्ड नं0 5, खेड़ा में टायल्स रोड निर्माण श्री अनीस खा के घर से श्री नत्थू व श्री जानकी प्रसाद के घर से श्री इफतार खान के घर तक।	17.77	17.75
2	वार्ड नं0 5 में टायल्स रोड निर्माण प्राथमिक विद्यालय से कंकरीट सीमेंट रोड तक निकट पाकड़ के पेड़ तक मो0 वाल्मीकि बस्ती, खेड़ा।	16.51	16.50
3	वार्ड नं0 7 में नाला निर्माण एक राम आर्य पार्क से नदी तक ट्रंचिंग ग्राउण्ड, रम्पुरा।	17.43	17.40
4	वार्ड नं0 12 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण श्री सेतिया एण्ड सन्स से श्री विजय आहूजा के घर तक (आर्य समाज मन्दिर वाली गली)।	6.64	6.60
5	वार्ड नं0 12 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण अनुग्रह ग्लास स्टोर से श्री फौजी के घर तक (गुरूनानक इण्टर कालेज के पीछे सामने वाली गली)।	11.14	11.10
6	वार्ड नं0 16 आदर्ष इन्दिरा कालौनी में श्री सुषेण से श्री गोविन्द विष्वास एवं लिंक मार्ग में इण्टरलॉक टायल्स का कार्य।	10.40	10.40
7	वार्ड नं0 17 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण पी0ए0सी0 मन्दिर मेन गेट प्राईमरी पाठषाला से मैक्सफाल्ट रोड पी0ए0सी0 कैम्पस तक।	7.73	7.70
8	वार्ड नं0 17 में इण्टरलॉक टायल्स रोड निर्माण प्रताप के घर से नत्थू के घर तक निकट सरस्वती विद्या मंदिर।	8.16	8.15
9	वार्ड नं0 18 में रिटर्निंग वॉल निर्माण, निकट काली मन्दिर, रविन्द्रनगर, कल्याणी व्यू	8.59	8.55
0	वार्ड नं0 19 में होटल सिद्धू पैलेस से अटरिया रोड मोड़ तक एच0आई0जी0 नं0 193 तक इण्टरलॉक टायल्स निर्माण कार्य।	36.86	33.85
	कुल योग	205.31	201.88

(रूपये दो करोड़ एक लाख अट्ठासी हजार मात्र)

11060702.for